आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–67 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित। आयोग के दिनांक–28.03.2024 के निर्देश के बावजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी का ना तो कोई प्रतिवेदन उपलब्ध है ना ही आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा उपस्थित हैं। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने कहा कि इस वाद की कई सुनवाई हो चुकी है, बावजूद इसके उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। विषय की गम्भीरता को देखते हुऐ आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस मामले को तत्काल न्याय दिलाने के लिए दिनांक–19.04.2024 को गोड्डा के सर्किट हाउस में पूर्वाह्न 11:00 बजे सुनवाई रखने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में आयोग जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि वो इस वाद से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ दिनांक–19.04.2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे सर्किट हाउस, गोड्डा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि शिकायतकर्ता को उनका अधिकार दिलाया जा सके। आदेश की प्रति उपायुक्त, गोड्डा को भी सूचनार्थ भेज दी जाय। शिकायतकर्ता को भी सुनवाई में उपस्थित होने के लिए दूरभाष पर सूचित कर दिया जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–19.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों के भेज दी जाय। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 96